बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली का उदाहरण।

परन्तु समिति ऐसे सरकारी उपक्रमों के प्राक्कलन की जाँच नहीं करेगी, जो सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति को इन नियमों द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये हों।

(च) समिति पूरे वित्त वर्ष के दौरान समय-समय पर प्राक्कलनों की जाँच करती रह सकेगी और जैसे-जैसे जाँच होती जाए, सदन को प्रतिवेदन दे सकेगी। समिति के लिए यह आवश्यक न होगा कि वह किसी एक वर्ष के सारे प्राक्कलनों को जाँचे। अनुदानों की माँगों पर अन्तिम रूप से मतदान हो सकेगा, यद्यपि समिति ने प्रतिवेदन न दिया हो।

(छ) समिति अन्य ऐसे कृत्य करेगी जो उसे सभा या अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।

(4) बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के विधान सभा की समितियों के कार्य-संचालन संबंधी सामान्य नियम, जिनका उपबन्ध इस समिति की नियमावली में नहीं है, लागू होंगे।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

241. (1) समिति का गठन - बिहार विधान सभा की एक सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति होगी। जिसमें सभापति सहित चौदह से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से ग्यारह सदस्य सभा द्वारा उसके सदस्यों में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे और समिति के साथ सहयोजित किये जाने के लिए बिहार विधान परिषद् द्वारा उस सदन से तीन से अनधिक सदस्यों के नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। अध्यक्ष, निर्वाचित सदस्यों में से किन्हीं को सभापति नियुक्त करेंगे। सरकार के कोई मंत्री समिति के सदस्य नहीं होंगे:

परन्तु सदन की सहमति से निर्वाचन प्रक्रिया शिथिल कर समिति गठन हेतु अध्यक्ष को प्राधिकृत किया जा सकेगा।

किसी उपवेशन में सभापति के अनुपस्थित रहने पर उपस्थित सदस्य अपने में से किन्हीं एक को उस उपवेशन के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए चुन लेंगे।

(2) समिति का कार्यकाल- समिति का कार्यकाल दो वर्षों के लिए या नई समिति के गठन के पूर्व तक रहेगा।

(3) समिति का कृत्य- (क) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखों की जाँच करना।

(ख) सरकारी उपक्रमों के विषय में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों की (यदि उपलब्ध हो) जाँच करना।

(ग) सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्य-कुशलता के संदर्भ में यह जाँच करना कि क्या सरकारी उपक्रमों के कार्य समुचित व्यापार सिद्धान्तों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुरूप चल रहे हैं।

(घ) सरकारी उपक्रमों के संबंध में लोक-लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में निहित ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो उपर्युक्त खंड (क), (ख) और (ग) के अन्तर्गत न आते हों और जो समय-समय पर सभा या अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे जायें, परन्तु समिति निम्नलिखित में से किसी के बारे में जाँच और छानबीन नहीं करेगी अर्थात् –

(i) प्रमुख सरकारी नीति संबंधी मामले जो सरकारी उपक्रमों के व्यापार अथवा वाणिज्यिक कृत्यों से भिन्न है;

(ii) दिन-प्रतिदिन के प्रशासन सम्बन्धी मामले;

(iii) ऐसे मामले जिनपर विचार के लिए उस विशेष संविधि में व्यवस्था की गई है, जिसके अन्तर्गत कोई सरकारी उपक्रम विशेष स्थापित किया गया है।

(4) बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के विधान सभा की समितियों के कार्य-संचालन संबंधी सामान्य नियम, जिनका उपबन्ध इस समिति की नियमावली में नहीं है, लागू होंगे।

विशेषाधिकार के प्रश्न

242. विशेषाधिकार के प्रश्न–कोई सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से किसी सदस्य अथवा सदन या उसकी समिति के विशेषाधिकार के भंग के संबंध में प्रश्न उठा सकेंगे।

243. विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना–विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के इच्छुक सदस्य, जिस दिन प्रश्न उठाना चाहते हों उस दिन उपवेशन के प्रारंभ के पहले, इसकी लिखित सूचना सचिव को देंगे। यदि उठाया गया प्रश्न किसी लेख्य पर आधारित हो, तो सूचना के साथ वह लेख्य भी रहेगा।

244. विशेषाधिकार प्रश्न की ग्राह्यता की शर्तें–विशेषाधिकार प्रश्न उठाने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा–

(i) एक उपवेशन में एक से अधिक प्रश्न न उठाये जायेंगे;

(ii) प्रश्न हाल के किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा; तथा

(iii) उस विषय में सदन का हस्तक्षेप अपेक्षित हो।

245. विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की रीति–(1) यदि अध्यक्ष नियम 242 के अधीन सम्मति दें और विमर्श के लिए प्रस्थापित विषय को नियमानुकूल मानें तो वे प्रश्नों के बाद और कार्य-सूची के अनुसार कार्यारम्भ होने से पहले संबद्ध सदस्य को पुकारेंगे। वे सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो जायेंगे और विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति माँगते हुए उससे संगत संक्षिप्त वक्तव्य देंगे:

परन्तु यदि अध्यक्ष ने नियम 242 के अधीन सम्मति देना अस्वीकार किया हो या उनकी राय में विमर्श के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल न हो, तो वे यदि आवश्यक समझें, विशेषाधिकार की सूचना पढ़-सुना सकेंगे और कह सकेंगे कि उन्होंने सम्मति देना अस्वीकार किया है या वे मानते हैं कि विशेषाधिकार प्रश्न नियमानुकूल नहीं है;